

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश

प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा 2010 की द्वितीय काउंसिलिंग की सूचना

(मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत सभी स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं मध्यप्रदेश के निजी क्षेत्र के चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय की पी.जी.डिग्री/डिप्लोमा सीटों पर आवंटन बावत)

व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा आयोजित प्री-पी.जी. प्रवेश परीक्षा 2010 में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा घोषित परीक्षा परिणामों के आधार पर जारी प्रावीण्य सूची (मेरिट) के अनुसार चयनित सेवारत उम्मीदवारों एवं डिग्री/डिप्लोमा (ओपन) के उम्मीदवारों को निम्नानुसार उपलब्ध डिग्री एवं डिप्लोमा की रिक्त सीटों पर नियमानुसार आवंटन प्रदान करने हेतु प्री-पीजी, 2010 की द्वितीय काउंसिलिंग का आयोजन दिनांक 22.06.2010 से दिनांक 24.06.2010 तक प्रातः 10.00 बजे से निम्न कार्यक्रम अनुसार गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में किया जा रहा है:-

स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय

उपलब्ध सीटों का विवरण :-

अनारक्षित श्रेणी	- डी0ए0	01 सीट	- इंदौर
अनारक्षित श्रेणी	- डी0एल0ओ0	02 सीट	- भोपाल, ग्वालियर
अनारक्षित श्रेणी	- डी0ओ0एम0एस0	01 सीट	- ग्वालियर
अनूसूचित जनजाति	- डी0ओ0एम0एस0	01 सीट	- इंदौर

नोट:-वर्तमान में अनूसूचित जाति तथा अन्य पिछडा वर्ग हेतु कोई सीट उपलब्ध नहीं है, परन्तु इस श्रेणी में सीटें उपलब्ध होने पर काउंसिलिंग की कार्यवाही की जा सकेगी ।

निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय

आर0डी0गार्डी0चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन

अनारक्षित श्रेणी	- एम0डी0 कम्प्यूनिटी मेडिसिन	01 सीट
	- एम0डी0 माइक्रोबायोलॉजी	01 सीट
अनूसूचित जनजाति	- एम0डी0 फार्माकालॉजी	01 सीट

पीपुल्स कालेज ऑफ डेंटल साइन्स, भोपाल

अनारक्षित श्रेणी	- एम0डी0एस0 ओरल पैथालॉजी	01 सीट	-(उक्त सीट पर आवंटन मा0 उच्च न्यायालय के याचिका डब्ल्यू0पी0कमांक 1653/10 में पारित निर्णय के अनुसार किया जायेगा)
------------------	--------------------------	--------	--

माडर्न डेन्टल कालेज, इंदौर

अनूसूचित जाति	- एम0डी0एस0 ओरल पैथालॉजी	01 सीट
---------------	--------------------------	--------

(सीटों की संख्या परिवर्तनीय है । इसके अतिरिक्त अन्य सीटें जैसे सेवारत श्रेणी एवं राज्य/अखिल भारतीय कोटे की सीटें उपलब्ध होने पर नियमानुसार सम्मिलित की जा सकेगी । सीटों की वास्तविक संख्या काउंसिलिंग स्थल पर उपलब्ध कराई जा सकेगी )

दिनांक	कार्यक्रम	पाठ्यक्रम / श्रेणी का नाम	वे उम्मीदवार जिन्हें उपस्थित होना है
22.06.2010	स्कूटनी आवंटन	एम0डी0एस0 (निजी) अनुसूचित जाति अनारक्षित श्रेणी	निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी मेरिट सूची अनुसार सभी पात्र उम्मीदवार ।
22.06.2010	स्कूटनी सेवारत उम्मीदवार	मेडिकल पी0जी0 डिग्री / डिप्लोमा अनुसूचित जनजाति  अनुसूचित जाति,  अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी)  अनारक्षित (यू0आर0)	समस्त सेवारत पात्र उम्मीदवार जिनकी प्रथम काउंसिलिंग में स्कूटनी नहीं हुई है ।  मेरिट क्रमांक 09 से समस्त पात्र उम्मीदवार एवं आप्ट फॉर वेटिंग के समस्त उम्मीदवार  मेरिट के आधार पर सभी पात्र उम्मीदवार ।  मेरिट के आधार पर सभी पात्र उम्मीदवार ।
22.06.2010	आवंटन सेवारत उम्मीदवार	मेडिकल पी0जी0 डिग्री / डिप्लोमा अनुसूचित जनजाति  अनुसूचित जाति,  अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी)  अनारक्षित (यू0आर0)	समस्त सेवारत पात्र उम्मीदवार जिनकी, प्रथम काउंसिलिंग में स्कूटनी नहीं हुई है ।  मेरिट क्रमांक 09 से समस्त पात्र उम्मीदवार एवं आप्ट फॉर वेटिंग के समस्त उम्मीदवार  मेरिट के आधार पर सभी पात्र उम्मीदवार ।  मेरिट के आधार पर सभी पात्र उम्मीदवार ।
22.06.2010	स्कूटनी	एम.डी. / एम.एस. (डिग्री / डिप्लोमा) (ओपन) अनुसूचित जनजाति (एसटी)  अनुसूचित जाति (एससी)  अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी)	आप्ट फॉर वेटिंग के उम्मीदवार, मेरिट क्र० 23 से 25, 27,28,38,41,48,50 से 54,56,57,59,61 से 69, 72 से 75,77,79, 80,82 से 88, 90 से 92, 95 से 98 तक एवं मेरिट सूची के सभी पात्र उम्मीदवार । (स्वशासी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी मेरिट सूची अनुसार सभी पात्र इच्छुक उम्मीदवार )  आप्ट फॉर वेटिंग के उम्मीदवार, मेरिट क्र० 09,13,17,26,32,35,41,44,46,47 से 50, 52 से 54,58 से 61,63,64 तक एवं मेरिट क्र० 75 तक सभी पात्र उम्मीदवार एवं (निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी मेरिट सूची के समस्त सभी पात्र इच्छुक उम्मीदवार ) आप्ट फॉर वेटिंग के उम्मीदवार, मेरिट क्र० 14,17,21,24,26,32,33,36,39,48,49, 55,58,60,65 तक एवं मेरिट क्र० 75 तक सभी पात्र उम्मीदवार एवं (निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी मेरिट सूची के समस्त सभी पात्र इच्छुक उम्मीदवार )

23.06.2010	आवंटन	<p>एम.डी./एम.एस. (डिग्री/डिप्लोमा) (ओपन) अनुसूचित जनजाति (एसटी)</p> <p>अनुसूचित जाति (एससी)</p> <p>अन्य पिछडा वर्ग (ओबीसी)</p>	<p>आप्ट फॉर वेंटिंग के उम्मीदवार, मेरिट क्र० 23 से 25, 27,28,38,41,48,50 से 54,56,57,59,61 से 69, 72 से 75,77,79, 80,82 से 88, 90 से 92, 95 से 98 तक एवं मेरिट सूची के सभी पात्र उम्मीदवार । (स्वशासी निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी मेरिट सूची अनुसार सभी पात्र इच्छुक उम्मीदवार )</p> <p>आप्ट फॉर वेंटिंग के उम्मीदवार, मेरिट क्र० 09,13,17,26,32,35,41,44,46,47 से 50, 52 से 54,58 से 61,63,64 तक एवं मेरिट क्र० 75 तक समस्त पात्र उम्मीदवार एवं (निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी मेरिट सूची सभी पात्र इच्छुक उम्मीदवार )</p> <p>आप्ट फॉर वेंटिंग के उम्मीदवार, मेरिट क्र० 14,17,21,24,26,32,33,36,39,48,49, 55,58,60,65 तक एवं मेरिट क्र० 75 तक समस्त पात्र उम्मीदवार एवं (निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी मेरिट सूची अनुसार सभी पात्र इच्छुक उम्मीदवार )</p>
23.06.2010	स्कूटनी	अनारक्षित (यूआर)	<p>आप्ट फॉर वेंटिंग के उम्मीदवार, मेरिट क्र० 19,22,31,49,52,56,63,67,69,70,74,76 85,88,89,92,97,103,105,107,112,116,125, 126,127,129,131 से 135, 137,139,143, 144,148,149,157,158,162 से 165,169, 172,173,175,180,181,184,186,187,188,192, से 194,196,197,199,203,204,206,207,210, 211,214,से 223, 225 से 228, 230,232, 233,235,237 से 240, 244,245,247 एवं मेरिट क्र० 251 से 300 तक एवं (निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी मेरिट सूची के सभी पात्र इच्छुक उम्मीदवार जो निजी चिकित्सा महाविद्यालय में आवंटन प्राप्त करना चाहते हैं )</p>
24.06.2010	आवंटन	अनारक्षित (यूआर)	<p>आप्ट फॉर वेंटिंग के उम्मीदवार, मेरिट क्र० 19,22,31,49,52,56,63,67,69,70,74,76 85,88,89,92,97,103,105,107,112,116,125, 126,127,129,131 से 135, 137,139,143, 144,148,149,157,158,162 से 165,169, 172,173,175,180,181,184,186,187,188,192, से 194,196,197,199,203,204,206,207,210, 211,214,से 223, 225 से 228, 230,232, 233,235,237 से 240, 244,245,247 एवं मेरिट क्र० 251 से 300 तक एवं (निजी चिकित्सा महाविद्यालय हेतु जारी मेरिट सूची के सभी पात्र इच्छुक उम्मीदवार जो निजी चिकित्सा महाविद्यालय में आवंटन प्राप्त करना चाहते हैं )</p>

प्रथम काउंसलिंग में सीट का आवंटन प्राप्त कर लेने वाले छात्रों को प्री0पी0जी0 नियम 2010 के उपनियम 20.16 के अनुसार द्वितीय काउंसलिंग में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी ।

आयोजित की जा रही काउंसलिंग के संबंध में उम्मीदवार को पृथक से कॉल लेटर नियमानुसार जारी नहीं किये जा रहे हैं । व्यापम द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर समस्त श्रेणी के मेरिट उम्मीदवार उपरोक्त दर्शाई गई तिथियों में काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें ।

**आवेदक को काउंसलिंग स्थल पर चार पासपोर्ट साईज फोटो जो कि विगत तीन माह से पुराने न हो लाना आवश्यक होगा ।**

प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा में चयनित अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को काउंसलिंग में उपस्थित होने पर सुरक्षा निधि के रूप में रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार केवल) तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जिनके माता-पिता/संरक्षक की आय रूपये 3.00 लाख से अधिक है, वे रूपये 2,000/- (रूपये दो हजार केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के नाम से देय हो, आवंटन पश्चात् जमा करना अनिवार्य होगा ।

प्री0पी0जी0 परीक्षा नियम, 2010 के नियमानुसार सभी मूल अभिलेख तथा इन अभिलेखों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियां दो सेट के बिना काउंसलिंग में भाग लेनेकी पात्रता नहीं होगी ।

किसी भी श्रेणी में सीटें समाप्त होने अथवा उम्मीदवार शेष न रहने पर उस श्रेणी की काउंसलिंग वहीं समाप्त घोषित कर दी जावेगी ।

पात्र उम्मीदवार काउंसलिंग में उपस्थित होने के पूर्व प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा नियम 2010 का भलीभांति अध्ययन कर लें । यह नियम मध्यप्रदेश राजपत्र के अनुसार ही मान्य किये जावेंगे ।

सेवारत उम्मीदवारों को प्रवेश हेतु नियंत्रणकर्ता अधिकारी द्वारा जारी स्पांसरशिप प्रमाण-पत्र काउंसलिंग स्थल पर जमा करना आवश्यक है । सेवारत उम्मीदवारों को काउंसलिंग के समय काउंसलिंग व्यय के रूप में रूपये 1500/- (रूपये एक हजार पांच सौ केवल) का बैंक ड्राफ्ट, जो संचालक चिकित्सा शिक्षा, भोपाल के नाम से देय हो, उपलब्ध कराना होगा ।

**नोट (1) :-**

- 1- प्री0पी0जी0 प्रवेश परीक्षा 2010 के निजी क्षेत्र के चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित परीक्षा परिणाम, काउंसलिंग एवं प्रवेश आदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में सुनी जा रही एस0एल0पी0कमांक 13111/09 के अंतिम निर्णय के अधीन होंगे ।
- 2- यदि उल्लेखित काउंसलिंग कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना काउंसलिंग स्थल पर ही चस्पा की जावेगी ।
- 3- एक उम्मीदवार के साथ केवल एक ही व्यक्ति को काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जावेगी ।
- 4- उम्मीदवारों की स्कूटनी उपलब्ध सीट्स के अनुसार की जायेगी ।
- 5- **आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को काउंसलिंग स्थल पर स्थायी जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।**
- 6- **आर0डी0गार्डी चिकित्सा महाविद्यालय, उज्जैन की अनुसूचित जनजाति की सीट यदि उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार से भरी जायेगी । इन श्रेणी के उम्मीदवार नहीं मिलने पर अनारक्षित श्रेणी को सीट उपलब्ध करवाई जा सकेगी ।**

**नोट (2) :-** जिन उम्मीदवारों द्वारा द्वितीय काउंसलिंग में उपस्थित होने हेतु माननीय न्यायालय में याचिका दायर की गई है तथा जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये गये हैं, ऐसे उम्मीदवार पारित निर्णय की प्रति लेकर काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होंगे । माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर काउंसलिंग समिति द्वारा निर्णय लिया जाकर काउंसलिंग संबंधी कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश